International Journal of Applied Research 2015; 1(8): 45-47

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(8): 45-47
www.allresearchjournal.com
Received: 12-05-2015
Accepted: 16-06-2015

अंजू
पीएच.डी,शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

Correspondence:
अंजू
पीएच.डी,शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जेंडर समता और अंबेडकर

अंजू

डा. अम्बेडकर भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों से भली भांति परिचित थे लिहाज़ा वे संविधान निर्माण के बाद शांत नहीं बैठे। विधिमंत्री की हैसियत से उन्होंने कानूनी सुधार का बीड़ा उठाया ताकि भारत की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को वास्तविक अर्थ में न्याय और समता का अधिकार प्राप्त हो सके परिणामतः भारत एक गौरवमयी राष्ट्र बन सके। अतः डॉ. अम्बेडकर हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के लिए मुक्तिदायिनी कानूनी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे, ताकि महिलाओं को सामाजिक एव आर्थिक अधिकारों से युक्त कर उनकी सशक्तिकरण की राह को प्रशस्त किया जा सके। परन्तु विडंबना यह है कि आज महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों की अनदेखी की गई है।[1]

अतः प्रस्तुत लेख भारतीय समाज में जेंडर समता लाने में डॉ. अम्बेडकर के योगदान को हिन्दू कोड बिल के माध्यम से जानने का प्रयास है।

हिन्दू कोड बिल पूर्व स्थिति में नारी

हिन्दू कोड बिल के निर्माण के गर्भ में मनुस्मृति की अन्यायपरक व्यवस्थाएँ जिम्मेदार रहीं, जिसमें हिन्दू नारी को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित कर पुरुषों से हीन दर्जा प्रदान किया गया। मनु ने पुरुषों को श्रेष्ठ मानकर उन्हें जायज–नाजायज़ अनेक अधिकारों से पूर्ण करके पितृसत्तात्मक सत्ता को स्थापित करता की जिसमें महिलाएँ पूर्णतः सत्ताहीन थी। हालांकि मनु से पहले समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी। अर्थवेद के प्रसंग से ब्रह्मचर्य काल पूरा करने के उपरांत की कन्या विवाह योग्य मानी थी जो यह दर्शाता है कि उस काल में महिला उपनयन की अधिकारिणी थी। इसी तरह बौद्धकालीन समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान ही चेतन प्राणी माना गया। वह पुरुषों की भांति ज्ञार्नाजन का अधिकार रखती थी।[2]

मनु के विचार से महिलाओं को किसी भी दशा में स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। बाल्यकाल में उसे पिता के अधीन, यौवनकाल में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रखा जाना चाहिए। मनु ने विवाह संबंध को आत्मा का मिलन बताते हुए इसे अविच्छेद माना। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह अविच्छेदता केवल महिलाओं के लिए निर्धारित की गई पुरुषों के लिए नहीं। इसी तरह धन–संपत्ति के मामले में भी मनु ने पत्नी को एक दास से अधिक नहीं समझा। उसके मतानुसार ''स्त्री, पुत्री तथा दास की अपनी कोई धन संपत्ति नहीं होती। जो कुछ ये कमाते हैं, यह उनका अपना न होकर पति, पिता या स्वामी का ही माना जाएगा।''[3] हालांकि विधवाओं को कुछ अधिकार दिए गए जैसे कि यदि स्वर्गीय पति संयुक्त परिवार का सदस्य था तो विधवा को गुजाराभत्ता मिल सकता था। यदि दिवंगत पति अलग रहता था तो उसकी संपत्ति में विधवा का हक तो था परंतु उसकी व्यवस्था एवं नियंत्रण एवं प्रबंध करने में महिला को कोई अधिकार नहीं दिया गया।[4] पुत्र की महत्ता इतनी ज्यादा थी कि पुत्र न होने पर निःसंतान दंपत्ति भाई के पुत्र को गोद ले सकता था या पुत्री के पुत्र को किंतु केवल पुत्र ही संपत्ति का अधिकारी हो सकता था। पुत्र गोद लेने का रिवाज इतना भयंकर था कि कभी–कभी रिवाज निभाते–निभाते अपने से बड़े पुरुष को दत्तक पुत्र बनाना पड़ता था।[5] अतः यह रीति रिवाज ही कानून थे। इनके चलते स्त्रियों की इच्छा–अनिच्छा का कोई वजूद नहीं था, वे मात्र साधन थी।

हिंदू कोड बिल में जेंडर समता

हिंदू कोड बिल के दो उद्देश्य थे। पहला, हिंदू समाज से संबंधित बिखरे हुए विभिन्न कानूनों को एक ही कानून संहिता में एकत्रित करना व उनमें सुधार करना। दूसरा, हिन्दू कानूनों को भारतीय संविधान के अनुरूप बनाना। जहाँ तक पहले उद्देश्य का संबंध है तो यह प्रचलित कानूनों और नियमों के सुधार से संबंधित था।[9] दूसरे उद्देश्य की व्याख्या करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा

'मैं संविधान के अनुच्छेद 15 की ओर ध्यान देना चाहता हूँ जिसे मौलिक अधिकार के रूप में पारित किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। परंतु वर्तमान में जो हिंदू नियम प्रचलित हैं, वह पुरुष एवं स्त्री के बीच भेद करते हैं। अतः प्रचलित हिंदू नियमों में सुधार न किया गया तो यह भारतीय संविधान के उपबंधों से टकराएगा।''[6]

डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का जो प्रारुप तैयार कर संसद में पेश किया उसके प्रमुख बिन्दुओं का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है:–

भरण–पोषण– वृद्ध माता पिता के भरण–पोषण की तत्कालीन हिंदू रिवाजों में कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी। केवल लोक–लाज के लिए वृद्धों का भरण–पोषण किया जाता था। हिंदू कोड बिल ने वृद्धों की देखभाल का कानूनी आधार तैयार किया। इसके साथ हिंदू स्त्री को जीविका प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित हुए बगैर भी अपने पति से अलग रहने का अधिकार प्रदान किया। परंतु इसके साथ यह प्रतिबंध भी लगाया कि यदि पत्नी अपतिव्रता है या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो इस स्थिति में भरण–पोषण की हकदार नहीं होगी।[7]

विवाह– हिन्दू कोड बिल में दो प्रकार के विवाहों को स्वीकार किया गया। एक शास्त्रीय विवाह, जो हिंदू रीति–रिवाजों में पहले ही माजूद था। दूसरा, सिविल विवाह। तत्कालीन हिंदू कानून मात्र शास्त्रीय विवाह को ही स्वीकार करता था एंव सिविल विवाह के लिए उसमें कोई जगह न थी। सिविल विवाह कई मायनों में शास्त्रीय विवाह से अलग था। सिविल विवाह जिसे रजिस्टर्ड विवाह भी कहा जाता है, में जहाँ एक ओर विवाह में सगोत्र की समानता को कोई बाधा नहीं माना गया अर्थात् इसके अंतर्गत समान गोत्र में लड़का–लड़की विवाह संबंध में बंध सकते थे। दूसरी ओर इसमें अंर्तजातीय विवाह को भी मान्यता प्रदान की। अतः किसी भी जाति के लड़के एवं लड़की के विवाह संबंधों एवं उनसे उत्पन्न संतान को वैद्य माना गया। तत्कालीन हिंदू रीति–रिवाजों में पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था। हिंदू कोड बिल में पति–पत्नी दोनों के लिए बहु विवाह को निषेध किया गया। इसके अतिरिक्त विधवा पुनर्विवाह को जायज ठहराया गया।[8]

गोद लेना– पहले से प्रचलित हिन्दू कानून में मात्रा लड़के को ही गोद लिया जा सकता था और इसके लिए पत्नी की इच्छा कोई मायने नहीं रखती थी अर्थात् पत्नी की स्वीकृति जरुरी न थी। हिंदू कोड बिल ने गोद लेने में में पत्नी की स्वीकृति अनिवार्य मानी गई। इसके अंतर्गत हिंदू परिवार में जन्मे लड़के या लड़की को गोद लिया जा सकता था चाहे वे किसी भी हिन्दू जाति के क्यों न हो। वह गोद लिए जाने वाले की जायदाद के वारिस बन सकते थे।

संरक्षण– प्रचलित हिंदू रीति–रिवाजों में पिता अपनी संतान का अभिभावक ताउम्र बना रहता था चाहे उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या सन्यास ले लिया हो। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत सन्यासी बनने एवं धर्म परिवर्तन दोनों ही स्थिति में पिता की अभिभावकता का लोप होने का नियम बनाया गया और इसका अधिकार माता को दिया गया।

संपत्ति का अधिकार– परिवार की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, विशेषतः पुत्री के अधिकार का समावेश हिंदू कोड बिल का क्रांतिकारी कदम था। इस विधेयक के अस्तित्व में आने के बाद महिला द्वारा जो भी संपत्ति प्राप्त की जाएगी वह निश्चित रूप से उसकी निजी संपत्ति होगी। इसके अंतर्गत महिला द्वारा अर्जित धन, विवाह संस्कार से प्राप्त स्त्री धन, दहेज, सगे संबंधियों द्वारा दिए गए उपहार आदि की स्वामिनी महिला ही होगी। उसकी अनुमति से ही पति विशेष अवस्थाओं में उसका उपयोग कर सकता है। स्त्री धन को लेने या बेचने आदि का अधिकार पति, पुत्र पिता और भाई में से किसी को भी नहीं है। इसके साथ ही पति की मृत्यु होने पर महिला को पति की संपत्ति में उसकी संतान के समान बराबर हिस्सा या अंश देने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं पिता की मृत्यु यदि बिना वासियतनामे के हुई है तो पुत्री को भी पुत्रों के बराबर जायदाद की वारिस या कहे तो उत्तराधिकारी होगी।[9]

तलाक– तत्कालीन हिन्दू रीति–रिवाजों में विवाह संबंध को आत्मा का मिलन माना गया है अतः इसे अविच्छेद बताया गया। परंतु आश्चर्य तो यह था कि यह अविच्छेदता केवल महिला के लिए थी, पुरुष के लिए नहीं अर्थात् महिला किसी भी स्थिति में पुरुष से अलग नहीं हो सकती थी। हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को विवाह तलाक का अधिकार प्रदान किया और तलाक के विभिन्न आधारों का निर्धारण किया– जैसे विवाह के समय पर और तब से लेकर इससे संबंधित अदालती कार्यवाही के आरंभ तक विवाह के दोनों पक्षों में से कोई एक नपुंसक हो, पति ने किसी महिला को रखैल रख लिया है या पत्नी किसी पुरुष की रखैल बन गई है या वेश्या का जीवन व्यतीत कर रही है, पति या पत्नी ने हिन्दू धर्म का परित्याग कर कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया हो, यदि पति या पत्नी में से कोई एक असाध्य रूप से उन्मत या पागल है और तलाक के लिए प्रार्थना पत्र देने से पहले निरंतर पांच वर्ष के लिए उसका इलाज किया जा चुका है।[10] अतः इन आधारों में से किसी पर भी पुरुष ही नहीं महिला भी को भी तलाक का अधिकार दिया गया, जो हिंदू कोड बिल का एक क्रांतिकारी कदम था।

उपरोक्त बिन्दुओं के द्वारा डॉ. अम्बेडकर ने पहले से चली आ रही अत्याचारपूर्ण व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू कोड में हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख तथा जैन सबको एक सूत्र में बांधकर लाखों–करोड़ों महिलाओं को अत्याचार, उत्पीड़न एवं अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल के रूप में एक कानूनी सतह का निर्माण करने की पुरजोर कोशिश की।

हिन्दू कोड बिल के केन्द्र में हिन्दू धर्म का सुधार मुख्य लक्ष्य था। डॉ. अम्बेडकर हिन्दू धर्म में सुधार कर उसे परिष्कृत रूप देना चाहते थे। उनके शब्दों में ''यदि हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज को बरकरार रखना है तो जहाँ इसमें सुधार या संशोधन करना जरूरी हो वहाँ इसे करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। धर्म और समाज रूपी पानी जो सदियों से एक गहरे कुण्ड में पड़ा सड़ता चला आ रहा है, उसे निकाल कर उसमें नया जल भरा जाए।''[11]

डॉ. अम्बेडकर चाहते थे इस बिल के माध्यम से समग्र भारत का हिन्दू समाज एक ही तरह की विधिक आचार संहिता से नियोजित हो, जिससे एक राष्ट्र और एक राष्ट्रीयता का विकास किया जा सके। अम्बेडकर के इस मत से सहमति रखते हुए प्रधानमंत्री नेहरु ने भी हिन्दु कोड बिल का समर्थन किया। उन्होनें संसद में कहा कि देश की प्रगति का असली मतलब मात्र राजनीतिक और आर्थिक धरातल पर सुधार नहीं बल्कि सामाजिक धरातल पर भी सुधार है। हमारे कानून और रीति रिवाज बुरी तरह से स्त्री विरोधी रुप धारण किए हुए हैं जिससे इन्हें खराब स्थिति का सामना करना पडा है।[12] नेहरु ने हिंदु कोड बिल के प्रति अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने की कोशिश की परन्तु भिन्न–भिन्न वर्गों और संप्रदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि अपनी–अपनी संकीर्णताओं से उभर नहीं सके। इसी कारण बिल समग्र रूप से पारित नहीं हो सका।

हिंदू कोड बिल की प्रासंगिकता

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा भेदभाव किए बिना स्त्री पुरुषों के लिए संविधान में समान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। तत्पश्चात ही वे महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुट गये। इसके लिए हिंदू कोड बिल के तहत उन्होंने महिलाओं के लिए तलाक, विवाह, संपत्ति के अधिकार इत्यादि मुद्दों को केंद्र बनाया। उनका कहना था कि लैंगिक असमानताओं को जो दूर किए बिना ही आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कानून पास करते जाना अपने संविधान का मजाक उड़ाना है। यह ठीक वैसा ही है जैसे गोबर के ढेर पर महल खड़ा करना।[13]

परंतु वर्तमान समय में हिन्दू कोड बिल बारंबार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हिन्दू कोड बिल के द्वारा डॉ. अम्बेडकर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जिस कानूनी उपागम को स्थापित करना चाहते थे वही कानूनी उपागम आज महिला आन्दोलन का मूलाधर बना हुआ है। इसके साथ ही पारिवारिक संपत्ति में विद्यमान सभी लैंगिक विभेद को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित 2005 के द्वारा सुधारा गया है। इसने कृषि भूमि को संपत्ति के रूप में परिभाषित कर महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ही विवाहित पुत्री संयुक्त संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है एवं पैतृक घर में रहना उसका अधिकार है।[14] यह अम्बेडकर की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिन्होंने कई वर्षों पहले संपत्ति संबंधी विषमता को हिन्दू कोड बिल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया और यदि यह प्रयास ऐसे ही निरंतर जारी रहा तो देश की आधी आबादी अर्थात महिलाएं सामाजिक–आर्थिक रूप से दृढ़ होकर राजनीतिक समानता का लाभ उठा पाएगीं और तभी भारत में सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना होगी।

संदर्भ

1. Padma Veiaskar, *Education for Liberation: Ambedkar's Thought and Dalit Women's Perspective*, Contemporary Education Dialogue, London. 2012; 9(2):245.
2. एस. विक्रम, *दलित महिलाएँ–इतिहास, वर्तमान और भविष्य,* 2010, श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 97।
3. डॉ. अम्बेडकर, *हिन्दू नारी का पतन एवं उत्थान,* 2008, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, पृ. 20।
4. तेज सिंह, *अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज* सं. 2008, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 191।
5. वही।
6. एल.आर. बाली, *डॉ. अम्बेडकर ने क्या किया?* 1991, भीम पत्रिका पब्लिकेशन, जालन्धर, पृ. 186।
7. ––––––––––*डॉ. अम्बेडकर और हिन्दू कोड बिल,* 1983, भीम पत्रिका पब्लिकेशंस, जालन्धर, पृ. 15।
8. सरला महेश्वरी, *समान नागरिक संहिता,* 1997, राधकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 35।
9. सोहन लाल शास्त्री विद्यावाचस्पति, *हिंदू कोड़ बिल और डॉ. अम्बेडकर,* 2009, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 81।
10. कंवल भारती, *समाजवादी अम्बेडकर,* 2009, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 246।
11. सोहन लाल शास्त्री, पूर्वोउद्धत, पृ.49।
12. रामचन्द्र गुहा, *भारत गांधी के बाद, दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास,* अनु. सुशांत झा, 2012, पेगुइन बुक्स, दिल्ली, पृ. 294।
13. नानक चन्द्र रत्तु, *डॉ. अम्बेडकर के अंतिम कुछ वर्ष* ,अनु. शील प्रिय बौद्ध, 2005, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 31।
14. Bina Agarwal, *Land Mark to Gender Equality*, Hindu, September 25, 2005, p. 10.